	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 13, रविवार, शाके 1942- मई 3, 2020 *Vaisakha 13, Sunday , Saka 1942- May 3, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 03, 2020

एस.ओ. 234 :-राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश या विनियम के अतिक्रमण द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन कारित अपराधों का, उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रकम पर शमन करने हेतु, समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

क्र.सं.	**अपराध**	**रुपये में रकम, जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है**
1	2	3
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढ़का हो) नहीं पहने हुए हो।	200/- रुपये
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500/- रुपये
3.	कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/- रुपये
4.	कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया जाने पर।	500/- रुपये
5.	कोई व्यक्ति जो पान, गुटका या तम्बाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाने पर।	1000/- रुपये
6.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/- रुपये
7.	उप खण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	5000/- रुपये

8.	विवाह से संबंधित समारोह आयोजन, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति हो।	10000/- रुपये

[संख्या एफ.9(16)गृह-5/2020]
राज्यपाल के आदेश से,
राजीव स्वरूप,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

Government of Rajasthan
Home (Gr.V) Department
Notification
Jaipur, May 03, 2020

S.O. 234 :-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No.1 of 2020), the State Government hereby authorizes all Executive Magistrates, within their respective jurisdiction, to compound the offences committed under section 4 of the said Ordinance, by violating the order or regulation prohibiting the actions specified in column 2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.

Schedule

S.N.	Offence	Amount in Rupees for which the offence is to be compounded
1	**2**	**3**
1.	Any person not wearing face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in public or work place	Rs. 200/-
2.	Selling any item by a shopkeeper to a person not wearing face mask or face cover	Rs.500/-
3.	Any person found spitting in public place	Rs. 200/-
4.	Any person found consuming liquor in public place	Rs. 500/-
5.	Any person found selling *paan, gutka* or tobacco	Rs. 1,000/-
6.	Any person not maintaining social distancing (minimum 6 feet from the other person) in public place	Rs. 100/-
7.	Organizing any marriage related function or gathering without prior information in writing to the Sub Divisional Magistrate or not maintaining social distancing during that function	Rs.5000/-
8.	Organizing any marriage related function and having more than 50 persons	Rs. 10,000/-

[No.F. 9(16)Home-5/2020]
By order of the Governor,
Rajeeva Swarup,
Additional Chief Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.